

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ1(02)पीएस/आकाशि/21/1217

दिनांक: 23-07-2021

परिपत्र

राजकीय महाविद्यालयों में पदस्थापित प्राचार्य/उपाचार्य, जो स्थानान्तरण हेतु आवेदन करना चाहते हैं वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अपना आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2021 से 02.08.2021 तक दिए गए लिंक <https://docs.google.com/forms/d/10vo01MaycKGY15IhTuui4H7jF-ZsbyATsyi02sCOV4o/edit?usp=sharing> पर online Submit कर सकते हैं। online आवेदन के लिए उपरोक्त लिंक समस्त महाविद्यालयों की ई-मेल पर भेज दिया गया है। :-

1. स्थानान्तरण हेतु ऑफ लाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. यह आवेदन करने की प्रक्रिया मात्र है, स्थानान्तरण का अधिकार नहीं है। आवेदन के बिना भी विभाग, छात्र/राज्य हित में विभागीय आवश्यकतानुसार किसी भी प्राचार्य/उपाचार्य का स्थानान्तरण करने हेतु स्वतंत्र होगा।
3. आवेदन पत्र एक बार ही भरा जा सकेगा तथा एक बार सबमिट करने के बाद इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

(संदेश नायक)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक:

क्रमांक:एफ1(02)पीएस/आकाशि/21/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
5. वेबसाइट प्रभारी विभाग की वेबसाइट पर आदेश को अपलोड करें।

(डॉ. आर. सी. मीना)

संयुक्त निदेशक(एचआरडी)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा